

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-305/16 श्र0सं0-  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

176

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, दरभंगा।  
श्रम अधीक्षक, नवादा/पूर्णियाँ-01 ।

पटना, दिनांक:-

20.3.17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मौंग सं०-26-उप शीर्ष-0104-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी० 2230017890104) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिकों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त ₹ 3000/-प्रति बाल श्रमिक की दर से कुल 19 बाल श्रमिकों हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र. सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की संख्या	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01) ₹ 2300/- राशन एवं ₹ 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	दवा भण्डार इकाई (21 02) विमुक्त के समय दवा हेतु- ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	आहार/पथ्य (21 03) विमुक्त के समय भोजन /नास्ता हेतु ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	कुल योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप श्रमायुक्त, दरभंगा।	02	5600	200	200	6000	श्रम अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक-181 दि.-23.02.2017 के आलोक में विमुक्त 02 बाल श्रमिकों के लिए।
2	श्रम अधीक्षक, नवादा	15	42000	1500	1500	45000	श्रम अधीक्षक, नवादा के पत्रांक-127 दि.-28.02.2017 के आलोक में विमुक्त 15 बाल श्रमिकों के लिए।
3	सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल	02	5600	200	200	6000	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-149 दि.-04.03.2017 के आलोक में विमुक्त 02 बाल श्रमिकों के लिए।
	कुल योग	19	53200	1900	1900	57000	

कुल आवंटित राशि ₹ 57000 ( ₹ सनतावन हजार) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिक को प्रदान किया जाय जिन्हें पूर्व में यह राशि प्रदान नहीं की गयी हो ।

5. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध करा दी जाय  
6. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,  
20/03/17  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 176 पटना, दिनांक 20-3-17  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/03/17  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 176 पटना, दिनांक 20-3-17  
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /\*संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.-78 (श्रम पक्ष) दि.-16.3.17 के आलोक में/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

20/03/17  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 176 पटना, दिनांक 20-3-17  
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/03/17  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

\*स्पीड पोस्ट